



523/1

दस्तावेज- 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4440/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

दिनांक : 16 दिसम्बर 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-देवरिया।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (खूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	50100029657434	IFSC Code HDFC0000947	176.396

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 2 मल्लाह टोली वार्ड में जगदीश जायसवाल मुन्ना तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	8.968
2	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं०-02 मल्लाह टोली में अजय तिवारी के घर से जासवाल जी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	7.883
3	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 06 लाला टोली आशा मेन गेट से इनडील वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	10.672
4	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 06 लाला टोली रमेश चौहान के मकान से गौरी शंकर सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	6.486
5	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 06 लाला टोली वार्ड में तहसील के पीछे सी0सी0 रोड से शीतला देवी मन्दिर के पूरब तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3.012
6	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 06 लाला टोली वार्ड में जानकी शर्मा के मकान से गिन्नु चौहान के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2.518
7	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 06 लाल टोली वार्ड में जनार्दन राव के घर से तहसील दक्षिणी दीवार तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3.688
8	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 06 लाला टोली वार्ड में जितेन्द्र पण्डा के मकान से त्रिशूलधारी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3.505
9	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं०-06 लाला टोली वार्ड में जितेन्द्र के मकान से अखिलेश विश्वकर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4.778
10	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 12 में सहन कोटि देवी मन्दिर के दक्षिणी छोर से पिच रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3.666
11	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 12 में सहन कोटि देवी मन्दिर के गेट से इन्द्रसेन मास्टर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.728
12	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रुद्रपुर	वार्ड नं० 12 में वंशीराजभर के मकान से पिच रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.777



523/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
13	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं० 12 में जयराम साहनी के मकान से रूद्रपुर मेन पिच रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3.852
14	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं० 12 दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में राजकुमार के मकान से जगदीश यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2.518
15	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०-12 में इण्टरलाकिंग रोड से राजेन्द्र के घोड़ा तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	11.904
16	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं० 12 दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में दयानन्द गुप्ता के मकान से राजेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	6.379
17	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं० 12 दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में रूद्रपुर गौरीबाजार मार्ग से रामबहाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	8.528
18	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं० 02 मल्लाह टोली वार्ड में मेन रोड से दिलीप जायसवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2.255
19	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०-12 दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर गेट से भुवाल वर्मा तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.741
20	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 12 दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में रामदरश कुशवाहा के मकान से अशोक यादव के मकान तक, राजेश तिवारी के मकान से गिन्नु के मकान तक, जुगूल के मकान से सुरेश गौड़ के मकान एवं रामअवध के मकान से दुर्गा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2.513
21	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 12 दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में संतोष पटेल के मकान से सुरेश गौड़ के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1.281
22	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 12 में छागुर के घर से रमाकान्त राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	11.918
23	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 12 दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में श्री भागवत के मकान से श्रीपत के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	9.177
24	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 12 संतोष यादव के मकान से रूद्रपुर मेन पिच रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1.659
25	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 06 लाला टोली वार्ड में बेचन यादव के मकान से रुजिद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	3.550
26	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 12 में रामाश्रय चौरसिया से कमलेश्वर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	11.922
27	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पं० रूद्रपुर	वार्ड नं०- 06 लाला टोली वार्ड में जितेन्द्र पण्डा के मकान से सुनील तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	2.518
	योग				176.396

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।



523/9

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक